भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4858

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

संवेदनशील क्षेत्रों में अति-पर्यटन के प्रभाव

4858. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या सरकार ने हिमालय क्षेत्र सहित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर अति-पर्यटन के पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास अत्यधिक पर्यटक दबाव का सामना कर रहे स्थलों के लिए एक मानकीकृत 'वहन क्षमता स्कोर' (कैरिंग कैपेसिटी स्कोर) या वैज्ञानिक बेंचमार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों की संख्या संबंधी सीमा, पूर्व-पंजीकरण, समयबद्ध प्रवेश या अन्य विनियामक उपायों को कार्यान्वित किया गया है अथवा लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सतत पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इन उपायों को राष्ट्रीय पर्यटन नीति में शामिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों के विकास और संवर्धन के साथ-साथ अति-पर्यटन के पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों, वहन क्षमता, प्रवेश नियम आदि का आकलन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना पर्यावरणीय सततता, सामाजिक-सांस्कृतिक सततता और आर्थिक स्थिरता सहित स्थायी पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अपने परियोजना प्रस्तावों को विचार हेतु प्रस्तुत करते समय, वहन क्षमता का आकलन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का एक मसौदा तैयार किया था, हालांकि, मसौदा नीति दस्तावेज में रेखांकित किए गए अधिकांश प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यों और कार्य क्षेत्रों को यथासमय मंत्रालय की मौजूदा पहलों, कार्यनीतियों और संबंधित दस्तावेजों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय स्थायी पर्यटन कार्यनीति' जारी की है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों सहित सभी हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। इस कार्यनीति का उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हुए अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन तटस्थ और संसाधन-कुशल पर्यटन सुनिश्चित करना है। यह कार्यनीति प्रभावी पर्यटक प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मांग का वितरण और डिफ्लेक्शन, स्थल का भौतिक प्रबंधन, पर्यटन नीतियों और योजनाओं के विकास में स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यटकों की संख्या, समय और स्थान में उचित संतुलन स्थापित करना शामिल है।

****